आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –77/2022

धर्मेन्द्र कुमार पासवान

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
18.05.2023	यह पुनरीक्षणवाद धर्मेन्द्र कुमार पासवान ने जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के वाद सं०–05/2017–18 में दिनांक 02.03.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है। वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि पुनरीक्षणकर्ता के दूकान एवं गोदाम को दिनांक 07.12.2016 को जॉचकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर एवं सहायक समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण द्वारा समर्पित किये गये संयुक्त प्रतिवेदन में विक्रेता के विरूद्ध दूकान पर सूचना बोर्ड नहीं लगाना, प्रत्येक माह में 2–3 किलो कम अनाज देना, अक्टूबर माह का राशन नहीं देना, निर्धारित मात्रा से कम अनाज देना इत्यादि अनियमितताएँ प्रतिवेदित की गई। उक्त अनियमितताओं के लिए पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर के ज्ञापांक 55 दिनांक 06.02.2017 से स्पष्टीकरण की मांग की गई। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से असहमत होने पर अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर ने पुनरीक्षणकर्ता की अनुज्ञप्ति सं०–01/2008–100/2016 को रद्द कर दिया, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के न्यायालय में वाद सं०–05/2017–18 दायर किया। परन्तु जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ने भी पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर अपीलवाद को अस्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	सदर के आदेश को सम्पुष्ट कर दिया। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 3662/2018 दायर किया, जिसमें दिनांक–28.06.2018 को पारित आदेश के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय में पी0डी0एस0 वाद संख्या 134 / 2018 दायर किया गया। उक्त वाद की सुनवाई कर इस न्यायालय द्वारा जिला पदाधिकारी के आदेश को विखंडित करते हुए रिमांड किया गया। जिसके आलोक में समाहर्ता द्वारा वाद संख्या 05 / 2017–18 में सुनवाई करते हुए अपीलकर्ता के अपीलवाद को पुनः खारिज कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पुनरीक्षणकर्ता के दूकान के विरूद्ध पूर्व में कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं हुआ। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निर्धारित मात्रा में उचित मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध स्थानीय मुखिया के आदमियों ने गलत आरोप लगवाकर इनके दूकान की अनुज्ञप्ति को रद्द करवाया। निरीक्षण के दिन पुनरीक्षणकर्ता के भंडार में अवशेष शुन्य था। 98.50 किग्रा० चावल एवं 50 किग्रा० गेहूँ दूकान के बाहर बरामदा में रखा हुआ था, जो आवेदक के परिवार के कार्ड का खाद्यान्न था, जिसे आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय सभी पदाधिकारियों को अवगत भी कराया गया। जो उपभोक्ता निरीक्षण के समय शिकायत किये वे सभी स्थानीय मुखिया के आदमी थे तथा पुनरीक्षकर्ता द्वारा उन सभी को निर्धारित मात्रा में उचित मूल्य पर माह अक्टूबर 2016 तक खाद्यान्न दिया गया है। इन उपभोक्ताओं ने मुखिया के दबाव में आकर गलत बयान दिये तथा बाद में उन उपभोक्ताओं में से कुछ ने अलग–अलग लिखित बयान दिया कि उन्हें अक्टूबर 2016 तक खाद्यान्न उचित मात्रा में प्राप्त हुआ है तथा उन्होंने मुखिया के बहकावे में आकर गलत आरोप लगा दिया। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि निरीक्षी पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में पुनरीक्षणकर्ता के संबंध में प्रतिवेदन दिया कि ''ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित मात्रा से कम राशन विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है।'' इस आधार पर किसी को दोषारोपित करना उचित नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता का दावा है कि जहाँ एक तरफ तीन	

WEB COPY NOT OFFICIAL

सदस्यीय जाँच पदाधिकारीगण अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख करते है कि आवेदक द्वारा दो माह के राशन का कालाबाजारी नहीं किया गया, दूसरी तरफ पुनरीक्षणकर्ता पर ऐसा आरोप लगाना कि ''प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण किया गया, यह आरोप बिल्कूल गलत एवं निराधार है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर ने न तो आवेदक के स्पष्टीकरण का अवलोकन सही तरीके से किया और न ही अपना निरीक्षण प्रतिवेदन का सही तरीके से अवलोकन किया तथा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। इस न्यायालय (आयुक्त न्यायालय) द्वारा रिमांड के बावजूद जिला दण्डाधिकारी ने भी पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने अपीलवाद में उठाये गये बिन्दुओं पर सम्यक विचार किये बगैर आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही है एवं खारिज होने योग्य है।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने तीन सदस्यीय जाँच दल के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनके (पुनरीक्षणकर्ता) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से असहमत होने पर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया है। पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम अनाज देने, पंजी में मिथ्या प्रविष्टि करने एवं भ्रामक स्पष्टीकरण देने का प्रमाणित आरोप है। इस प्रकार जिला दण्डाधिकारी का आदेश बिल्कुल सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता के दुकान की जाँच कर जिला पदाधिकारी को समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध विक्रेता द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष अपीलवाद दायर किया गया। विक्रेता द्वारा इस न्यायालय में दायर पुनरीक्षणवाद की सुनवाई करते हुए जिला पदाधिकारी को रिमांड किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा वादी को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते

WEB COPY NOT OFFICIAL

हुए अपीलवाद को अस्वीकृत किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

जाँच पदाधिकारीगण के समक्ष कई उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेता पर निर्धारित मात्रा से कम राशन देने का आरोप लगाया गया। विक्रेता के पास जाँच की तिथि को भंडार शुन्य होना चाहिए था, परंतु उनके भंडार में 98.5 किग्रा चावल एवं 50 किग्रा गेहुँ पाया गया, जिससे उपभोक्ताओं द्वारा लगाया गया आरोप संपुष्ट होता है। जिस कारण विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की गयी।

पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देने, पंजी में मिथ्या प्रविष्टि करने एवं भ्रामक स्पष्टीकरण देने का गंभीर आरोप है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 14 (i) में अंकित है कि ***'' अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।''*** साथ कंडिका ही 25 (i) में अंकित है कि ***''माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित स्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी :– अनुज्ञप्तिधारी जो, (घ) बी०पी०एल० राशन कार्डो में मिथ्या प्रविष्टियां करता हो।''*** इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

अतएव जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आयुक्त **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL